

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषकः—

पी० एन० मिश्रा

निशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

संज्ञा मे

आध्यक्ष

के न्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,

शिक्षा के न्द्र, 2 कम्युनिटी से टर,

गई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक

विषयः—

मदर टेरेसा एकेडमी, बेनीपुर, दरभंगा को CBSE बोर्ड, नई दिल्ली से संबंधित हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मदर टेरेसा एकेडमी, बेनीपुर, दरभंगा को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकार के समझ लिये गये शपथ-पत्र वे साथ सम्मान सरकार विद्यालय के अभिलेखीय/कागजातीय एवं जांच समिति के प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग की राधाम शमिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति गिर्मन प्रकार पाई गई:-

1. यह विद्यालय क्रान्ति देवी, एडुकेशनल एण्ड डैरिटेक्नल ट्रस्ट, बेनीपुर, दरभंगा के अधीन नियंत्रित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुता नहीं है। सौसाइटी व व्यक्ति सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निर्बंधित सोसाइटी/स्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को 1.5 एकड़ भूमि 30 वर्षों लीज़ प्रस उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।

4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति है। विद्यालय में कुल 15 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह 'सुनिश्चित' करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा नियांत्रित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन ज्ञातेवय रक्तजागिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कारबैंड करे इस री० बी० एस० ई० नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय आधीसूचना राख्या-238, दिनांक-04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसारः—

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25. प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पडोस में निवास करने वाले लिखित के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे दयूषान शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा, ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अन०० जनजाति, पिछड़ा ज्ञात्यवादी वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलाग वालिकाए तथा सामाजिक श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवेदन रूपया 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/कैरोजी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आगार की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा गे नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8 यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9 साथ ही सी0 बी0 एस0 ई0, को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। रखूल को यह शर्त सार्वजनिक कर्नी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की रिप्रति में अनापत्ति प्रनाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10 छिंगारी पत्रांक-46, दिनांक-18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने अवधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11 विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार मदर टेरेसा एकेडमी, बेनीपुर, दरभंगा को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से राबड़ता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी0 बी0 एस0 ई0 अपने स्तर से संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की संबंधता देने पर विचार करेगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(पी0 एन0 मिश्रा)

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक.....

झापांक :- 10 / न - 14 / 2015

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

झापांक :- 10 / न - 14 / 2015 669

पटना, दिनांक 61.1.2015

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, मदर टेरेसा एकेडमी, बेनीपुर, दरभंगा को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)